"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 54] रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 फरवरी 2018 — माघ 18, शक 1939

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2018

आदेश

क्रमांक एफ 1-3/2017/रास/यू.-14. — छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 17 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आई. सी. एफ. ए. आई. विश्वविद्यालय, दुर्ग के माननीय कुलाध्यक्ष द्वारा Professor Dr. S. Jeelani, Hyderabad को आई. सी. एफ. ए. आई. विश्वविद्यालय, दुर्ग का कुलपति नियुक्त किया गया है.

2. Professor Dr. Jeelani का कार्यकाल, उपलब्धियां तथा सेवा शर्तें उक्त अधिनियम में निहित प्रावधान अनुसार होंगी.

हस्ता./-
(जनमेजय महोबे)
राज्यपाल के उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.